



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02052022-235505
CG-DL-E-02052022-235505

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1946]
No. 1946]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 2, 2022/वैशाख 12, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 2, 2022/VAISAKHA 12, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2022

का.आ. 2046(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा-विनिर्दिष्ट पाक्योंग (NH717A) के कि.मी. 0 से कि.मी. 20 सिक्किम राज्य तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH717A तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	सिक्किम	पाक्योंग	पाक्योंग	1 करतोक

		NH717A के कि.मी. 0 से 20 तक				<table><tr><td>2</td><td>पचे</td></tr><tr><td>3</td><td>नामचेबंग</td></tr><tr><td>4</td><td>एंढम</td></tr><tr><td>5</td><td>आहो</td></tr></table>	2	पचे	3	नामचेबंग	4	एंढम	5	आहो
2	पचे													
3	नामचेबंग													
4	एंढम													
5	आहो													

[फा. सं. NHIDCL/Sikkim/Ranipool-Pakyong/LA/2017]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd May, 2022

S.O. 2046(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km 0 to Km 20 of Pakyong (NH717A) in the State of SIKKIM for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of SIKKIM.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH717A in the State of SIKKIM.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	District Collector	0KM To 20KM	SIKKIM	PAKYONG	Pakyong	1	Kartok
						2	Pachey
						3	Namcheybong
						4	Yentam
						5	Aho

[F. No. NHIDCL/Sikkim/Ranipool-Pakyong/LA/2017]

RAJESH GUPTA, Director